



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 550 राँची, मंगलवार,

5 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 जुलाई, 2023

संख्या-5/विविध(आरोप)-3-1/2020-22644(HRMS)--श्री रोबिन टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-775/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के विरुद्ध स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-505 दिनांक 24.02.2020 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री टोप्पो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् हैं- आरोप- गोपीनाथ सिंह महिला इण्टर महाविद्यालय, गढ़वा के मामले में निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में श्री टोप्पो द्वारा गलत तथ्य समर्पित करते हुए प्रस्वीकृति हेतु गलत अनुशंसा की गई। फलतः महाविद्यालय को प्रस्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय को अनुदान मद में वर्ष-2008-09 से वर्ष 2015-16 के दौरान ₹0 02,05,16,308/- (दो करोड़ पाँच लाख सोलह हजार तीन सौ आठ रुपये) का गलत भुगतान किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2653, दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री टोप्पो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री टोप्पो के पत्रांक-666, दिनांक 28.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि शासी निकाय के सदस्यों को (अनुमण्डल पदाधिकारी भी) महाविद्यालय के प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसा में विभागीय अधिनियम

तथा नियमावली के अन्तर्गत कोई भूमिका अंकित नहीं है। माननीय लोकायुक्त कार्यालय में उन्हें न ही पक्षकार बनाया गया है, और न विभागीय जाँच के दौरान उनका पक्ष जानने हेतु यथोचित कार्यवाही किया गया है। प्रश्नगत गोपीनाथ सिंह इण्टर महाविद्यालय के मामले में JAC के अनुशंसा तथा तथ्यों के गुण-दोष के आधार पर प्रस्वीकृति प्रदान करने के लिए निदेशालय को जिम्मेवारी दिया गया है और तदनुसार रद्द करने की कार्रवाई भी कर सकता है। किन्तु उक्त कार्य हेतु शासी-निकाय के सदस्य के रूप में अनुमण्डल पदाधिकारी की भूमिका दर्शाया जाना विभागीय अधिनियम के अनुकूल नहीं है। प्रश्नगत मामले में आरोप के सापेक्ष प्रस्तुत साक्ष्य निराधार एवं तथ्य से परे है।

श्री टोप्पो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4161, दिनांक 27.08.2020 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-805, दिनांक 14.03.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें मंतव्य गठित किया गया कि श्री रोबिन टोप्पो, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा गोपीनाथ सिंह इण्टर महिला महाविद्यालय, गढ़वा को स्थायी प्रस्वीकृति की मान्यता दिये जाने हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची के द्वारा गठित निरीक्षी समिति के सदस्य थे। गोपीनाथ सिंह इण्टर महिला महाविद्यालय, गढ़वा को स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने वाली समिति में श्री टोप्पो सदस्य नहीं थे। अतः इन पर आरोप स्थापित नहीं होता है।

श्री टोप्पो के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त मंतव्य समीक्षा की गयी।

अतः समीक्षोपरांत श्री रोबिन टोप्पो, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र से उन्हें मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रोबिन टोप्पो, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ROBIN TOPPO BHR/BAS/3732	श्री रोबिन टोप्पो, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-775/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा, सम्प्रति उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
